छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
———00———

क्रमांक एफ 6–69/न्या.प्र./2023/38–2 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 13/08/2025

प्रति,

डॉ. डी.एस.जगत — 7425513542
अपर संचालक/प्रभारी अधिकारी
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर

विषयः— **डब्ल्यू0पी0(सी0) क्रमांक 2361/2023 Private Nursing College Association Of Chhattisgarh विरूद्ध छ0ग0 शासन एवं अन्य।**

———00———

डब्ल्यू पी.एस. कमांक 5147/2024 में पारित आदेश दिनांक 07.07.2025 के परिपालन में दिनांक 23.07.2025 को मान. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई जिसमें चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अपना पक्ष रखा गया। प्रकरण में प्रमुख सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा भी परामर्श दिया गया।

प्रकरण में मान. मुख्य सचिव, छ.ग. शासन से प्राप्त प्रस्ताव एवं निर्देश के आधार पर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा चिकित्सा शिक्षा संबंधी पाठ्यक्रम के संचालन के संबंध में स्पष्टीकरण दिनांक 06.08.2025 को जारी किया गया।

2/ अतः उक्त स्पष्टीकरण से मान. उच्च न्यायालय को प्रकरण कमांक 2361/2023 में भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

13/8/25
(धनंजय नेताम)
अवर सचिव
छ0ग0 शासन
उच्च शिक्षा विभाग

SCAN AnyScanner

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
———00———

:: Clarification ::

06 AUG 2025

क्रमांक एफ 6—199/न्या.प्र./2025/38—2 नवा रायपुर अटल नगर, दि0 /08/2025

विषयः— छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 एवं छ.ग. आयुष एवं स्वास्थ्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2008 का तुलनात्मक विश्लेषण तथा स्पष्टीकरण।

——00——

न्यायालयीन प्रकरण डब्ल्यू.पी.सी. क्रमांक 5147/2024 भारती विश्वविद्यालय विरूद्ध छ.ग. शासन एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 07.07.2025 को पारित आदेश के परिपालन में दिनांक 23.07.2025 को माननीय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक दिनांक 23.07.2025 में चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पक्ष रखा गया। प्रकरण में प्रमुख सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा भी परामर्श दिया गया।

क्र	विशेषता	छ.ग. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005	छ.ग. आयुष एवं स्वास्थ्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2008
1.	उद्देश्य	छ.ग. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 का मुख्य उद्देश्य छ.ग. राज्य में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना, संचालन और विनियमन करना है। ताकि उच्च शिक्षा के मानको को सुनिश्चित किया जा सके। राज्य सरकार और केन्द्रीय नियामक निकायों के बीच एक नियामक तंत्र स्थापित करना है।	छ.ग. आयुष एवं स्वास्थ्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2008 का मुख्य उद्देश्य आयुष और स्वास्थ्य विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा देना जिसमें आधुनिक चिकित्सा, आयुर्वेद, योग प्राकृतिक चिकित्सा, युनानी, होम्योपैथी सम्मिलित है। विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त संस्थाओं का निरीक्षण करके यह सुनिश्चित करता है कि, शिक्षा, शिक्षण एवं प्रशिक्षण का उचित स्तर बनाए रखें जाएं।
2.	कानून की प्रकृति	यह अधिनियम एक विशेष अधिनियम है। जिसे छ.ग. राज्य के विधानसभा द्वारा पारित किया गया। इसका उद्देश्य निजी संस्थाओं को विश्वविद्यालय स्थापित करने का वैधानिक आधार देना है।	यह अधिनियम एक विधिक अधिनियम है। जिसे छ.ग. राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया। यह अधिनियम विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित मानकों को नियंत्रित करता है।

AnyScanner

3	वैधानिक प्रावधान	अधिनियम की धारा--9 की उपधारा (1) के अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग द्वारा भारती विश्वविद्यालय को आयुर्वेद / हेल्थ एंड एलाइड साइंस / पैरामेडिकल / नर्सिंग / फार्मेसी के शिक्षण कार्यक्रम की अनुमति संबंधी अधिसूचना (दिनांक 05.07.2022) जारी की गई थी। किन्तु इस अधिसूचना में चिकित्सा पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सक्षम अनुमति प्राप्त करने संबंधी छूट होने का उल्लेख नहीं है।	अधिनियम की धारा–6 (1) में उल्लेखित है कि – "छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर स्थापित, अनुमोदित, संबद्ध और मान्यता प्राप्त कोई भी चिकित्सा, दन्त, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा, युनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी, संस्था या कोई संकाय या कोई महाविद्यालय विश्वविद्यालय की मंजूरी के बिना विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य विश्वविद्यालय से किसी भी रूप में सहयोजित या किसी विशेषाधिकार की स्वीकृति की मांग नहीं करेगी।" अधिनियम के अनुसार संस्था की परिभाषा से तात्पर्य है, "स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में शिक्षा, अध्यापन, प्रशिक्षण देने में तथा अनुसंधान विकास में लगी हुई कोई शिक्षा संस्था।"
4	क्षेत्राधिकार	अधिनियम में किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा कोई पाठ्यक्रम संचालन करने में कोई प्रतिबंध नहीं है। परंतु उच्च शिक्षा विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग छ.ग. शासन के दो विभिन्न विभाग है। ऐसी स्थिति में अन्य विभाग द्वारा निजी विश्वविद्यालय को उक्त पाठ्यक्रम के संचालन की अनुमति प्रदान किये जाने से विवाद की स्थितियां निर्मित हो रही है तथा एक विषय हेतु दो समानांतर व्यवस्था निर्मित हो रही है। जो नियामकीय दृष्टि से उचित नहीं है।	चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्वास्थ्य और संबद्ध विज्ञान संकाय के पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु पूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को प्रदान किया गया है।

<u>स्पष्टीकरण:–</u>

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में माननीय मुख्य सचिव छ.ग. शासन से प्राप्त प्रस्ताव एवं निर्देश के आधार पर यह स्पष्टीकरण जारी करता है कि:–

"छ.ग. निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2005 तथा छ.ग. आयुष एवं स्वास्थ्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2008 के वैधानिक प्रावधान एवं विवेचनानुसार स्पष्ट किया जाता है कि, भारती विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2008 में उल्लेखित संस्था

क्रमशः...

के परिभाषा में आता है। इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य में यदि कोई निजी विश्वविद्यालय स्वास्थ्य से संबंधित पाठ्यक्रम (जैसे आयुर्वेद होम्योपैथी, नर्सिंग, पैरामेडिकल, फॉर्मेसी आदि) को संचालन करना चाहता है तो छ.ग. आयुष एवं स्वास्थ्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2008 मे उल्लेखित सक्षम प्राधिकारी से विधिसम्मत अनुमति लेना अनिवार्य है।''

(डॉ एस. भारतीदासन)
सचिव 06/08/25
छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग

SCAN AnyScanner